"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 663] रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अगस्त 2025 — श्रावण 27, शक 1947

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–13/2024/रास/यू–9.— इस सचिवालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27–06–2025 द्वारा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अंबिकापुर में कुलपति नियुक्ति हेतु तालिका (पैनल) अनुशंसित करने के लिए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) अंतर्गत समिति का गठन किया गया है।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13(5) में निहित प्रावधान अंतर्गत समिति के तालिका (पैनल) प्रस्तुत किये जाने की अवधि में, एतद्द्वारा चार सप्ताह की वृद्धि की गई है।

हस्ता./–

(निधि साहू)
राज्यपाल के उप–सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.